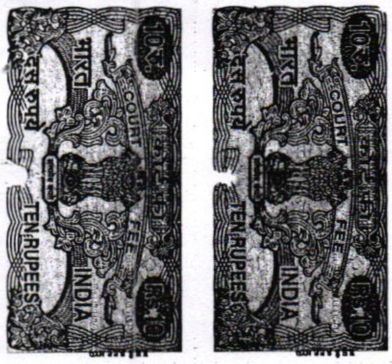

मानननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर

अपील- 8779/2018/मुरैना/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक /2018 द्वितीय अपील

दिनांक 19-6-18 को प्रेमसिंह गुर्जर द्वारा प्रस्तुत।

19-6-18

01 14 19/6/18

26-6-18

भागीरथ पुत्र घमण्डी बाढई निवासी ग्राम

धनेटा, तहसील पोरसा जिला मुरैना

.... अपीलांट

बनाम

मध्यप्रदेश शासन........ रिस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता खण्ड क्रमांक 4, खण्ड क्रमांक 5 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग ग्वालियर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक (राजस्व) अपील [redacted]21/88–89 आदेश दिनांक 29.02.92 पर सुनवाई बावत्।

श्रीमान जी

अपीलार्थी /आवेदक की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. यहकि, प्रकरण अवधि बाह्य होने के कारण अपीलार्थी द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान के अंतर्गत उचित आधारों पर अवधि बाहर निगरानी प्रस्तुत किये जाने को माफ करने के लिये इस निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-3779/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.07.2018	अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह गुर्जर उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 29.02.1992 के विरुद्ध दिनांक 19.06.2018 को लगभग 26 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा इतने लंबे विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। संहिता की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होता है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विलंब के संबंध में जो तर्क दिए गए हैं, वे मान्य योग्य नहीं हैं। दर्शित परिस्थिति में यह अपील समयावधि वाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	